न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 01/2024 शस्त्र अधिनियम्
GCMS No. 2024/13

ऋषिराज सिंह दत्तक पुत्र शैतान सिंह जाति राजपूत निवासी बीठनोक तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

———अपीलान्ट

——बनाम——

स्टेट ऑफ राजस्थान

———रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः— श्री करण सिंह तंवर अभिभाषक अपीलांट
श्री गजेन्द्र सिंह अभियोजन अधिकारी, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 01.09.2025

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के आदेश दिनांक 14.12.2023 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के नाना श्री शैतान सिंह पुत्र महताब सिंह के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. सी.बी./जेओडी/8668 दिनांक 31.10.2003 जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर द्वारा जारीशुदा है, जिसमें एक 122 बोर गन ए–34–887 दर्ज है। अपीलान्ट के नाना श्री शैतान सिंह पुत्र महताब सिंह का स्वर्गवास दिनांक 18.05.2003 को हो जाने पर अपीलांट ने स्व. शैतान सिंह के उत्तराधिकारी की हैसियत से नवीन अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के उत्तराधिकार में नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र के आवेदन को दिनांक 27.04.2018 को आदेश पारित करते हुए निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 27.04.2018 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील को आदेश दिनांक 20.07.2022 पारित कर रिमाण्ड कर दिया, जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः सुनवाई करते हुए अपीलांट के आवेदन पत्र को अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2023 द्वारा निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2023 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट तथा राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया है कि अपीलांट के नाना श्री शैतान सिंह पुत्र महताब सिंह के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. सी.बी./जेओडी/8668 दिनांक 31.10.2003 जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर द्वारा जारीशुदा है, जिसमें एक 122 बोर गन ए–34–887 दर्ज है। शैतान सिंह की मृत्यु उपरांत उनकी धर्मपत्नि पन्ने कंवर द्वारा उक्त गन हरिशरण व्यापारिक प्रतिष्ठान आर्म्स एण्ड एम्युनेशन डीलर्स को बतौर सेफ कस्टडी जमा करवा दी। प्रकरण में अपीलार्थी के नाना स्व. शैतान सिंह पुत्र श्री महताब सिंह की मृत्यु के पश्चात अपीलार्थी ने स्व. शैतान सिंह के अन्य वारिसों के शपथ पत्रों सहित शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी के आवेदन किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर से रिपोर्ट मांगी गई, जो अपीलांट के पक्ष में आई। अपीलांट ने विधिवत शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण भी लिया हुआ था, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है। अपीलांट बचपन से ही अपने नाना स्व. शैतान सिंह के साथ रहता था तथा अनुज्ञा धारी स्व. शैतान सिंह की अपीलांट को गोद लेने की हार्दिक इच्छा थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र यह कहकर निरस्त कर दिया कि अपीलांट का आवेदन आर्म्स नियम 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं है। अपीलांट ने अपने शपथ पत्र में यह भी कथन किया कि स्व. शैतान सिंह के सभी उतराधिकारियों के सहमति पत्र भी संलग्न है तथा इनके अलावा मृतक अनुज्ञाधारी के शस्त्र अधिनियम 2016 के नियम 25 के अनुसार और काई उतराधिकारी नहीं है। अपीलांट का आवदेन दिनांक 27.04.2018 को निरस्त किया गया था। अपीलांट ने आदेश दिनांक 27.04.2018 के विरूद्ध अपील दायर की, जो दिनांक 20.07.2022 को रिमाण्ड हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक उतराधिकारी में दत्तक पुत्र सम्मिलित होने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के आधार पर आवेदन पत्र खारिज कर दिया। हिन्दू विधि का सर्वथा सिद्धांत है कि पुत्र व दतक पुत्र के अधिकार एक समान है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व ना तो लीगल माईण्ड एप्लाई किया और ना ही नियमों का सही विवेचन किया। अपीलांट के शपथ पत्र दिनांक 3.5.17 से अपीलांट शैतान सिंह का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी प्रमाणित हैं। स्व. शैतान सिंह की पत्नि श्रीमती पन्ने कंवर ने पंजीकृत गोदनामा दिनांक 04.06.2018 करवाकर यह प्रमाणित कर दिया कि अपीलांट शैतान सिंह का दत्तक पुत्र है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में खारिज किया गया। अपील धारा 5 कानूनी मियाद के अंतर्गत अन्दर मियाद पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील मियाद में शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे ।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री गजेन्द्र सिंह ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर द्वारा अपीलांट को आर्म्स नियम 2016 के तहत नवीन प्रारूप में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया परन्तु अपीलांट ने उसका पूर्ण रूप से प्रत्युतर नहीं दिया। इसके साथ ही अपीलांट अपने नाना का शस्त्र प्राप्त करना चाहता है जो आर्म्स नियम 2016 के नियम 25 में विधिक उत्तराधिकारियों की सूची में सलंग्न नही है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश रिमाण्ड प्रकरण में पुनः सुनवाई कर नियमों की पालना करते हुए पारित है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट तथा राज्य पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर ने रिमाण्ड प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2023 पारित कर अपीलांट के दत्तक पुत्र के आधार पर उतराधिकार में शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के आवेदन पत्र को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि शस्त्र नियम, 2016 के नियम 25 एवं संशोधित नियमों में विधिक उत्तराधिकारी में अनुज्ञप्तिधारी या मृत अनुज्ञप्तिधारी के दत्तक पुत्र को सम्मिलित करने संबंधी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट उक्त अपीलाधीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र में दर्ज शस्त्र को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उक्त परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2023 न्यायोचित होने के कारण उक्त आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2023 यथावत रखा जाता है।

7. तदानुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 01.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर